फैसला: यूपी में उद्योगों को सशर्त बिजली कनेक्शन

- यूपीपीसीबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य
- लाइसेंस मिलने के बाद ही एनओसी मिलेगी

■ प्रभात कुमार

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को बिजली के नए कनेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, औद्योगिक इकाइयों को यूपीपीसीबी से उद्योग लगाने और संचालन लाइसेंस मिलने के बाद ही एनओसी मिलेगी।

एनजीटी में संयुक्त समिति कि ओर से पेश एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के आगरा में रिहायशी कॉलोनियों में अवैध तरीके से संचालित हो रहे औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा होने वाले प्रदूषण व अन्य परेशानियों को दूर करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गठित समिति ने पेश की है। एनजीटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ के समक्ष संयुक्त समिति ने रिपोर्ट पेश की है। इसमें, उत्तर प्रदेश बिजली कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल विद्युत वितरण लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों को भेजे गए पत्र का हवाला दिया। मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में लिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि ऑरेंज और रेड श्रेणी के उद्योगों को अस्थाई कनेक्शन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति पत्र प्राप्त के बाद ही दिए जाएं।